BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 607 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "In Lucknow's waste - side story plastic peril paints grim picture" appearing in The Hindustan Times dated 22.04.2024

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit Of District Magistrate Lucknow, in compliance Of Order Dated 03.04.2025 passed By This Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure R-1:** A copy of the letter dated 02.04.2025	
3.	**Annexure R-2:** A copy of Letter No. D/35/P.A/25 dated 15.04.2025	
4.	**Annexure R-3:** A copy of letter dated 29.07.2025 submitted by the Additional Municipal Commissioner Nagar Nigam Lucknow	
5.	**Annexure R-4** A copy of letter dated 02.04.2025 submitted by the Environment Engineer Nagar Nigam Lucknow	

Dated - 05.08.2025

Ankit Verma

THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 607 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "In Lucknow's waste - side story plastic peril paints grim picture" appearing in The Hindustan Times dated 22.04.2024

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.04.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 4 Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Vishak G aged about 37 years, presently posted as District Magistrate – Lucknow, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorized officer of answering Respondent No.4 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

Sunil Kumar Srivastava
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA

3. That the deponent is posted as District Magistrate- Lucknow, since 19.01.2025 and is swearing this affidavit in his official capacity.

4. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom

5. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 03.04.2025 was pleased to issue the following directions:-

   "........... 2. ***It will be open to Respondent Nos. 4 and 5 to file a further compliance affidavit within four weeks. 3. List on 06.08.2025.***"

6. That the present reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 03.04.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

7. That the Member Secretary UPPCB Lucknow vide his letters dated 30.07.2024, 09.12.2024 and 02.04.2025 (amended recovery certificate) had informed the deponent about the recoveries amounting to Rupees 56,94,13,000/- (Fifty Six Crores Ninety Four Lakhs and Thirteen Thousand) which are to be recovered from Municipal Commissioner Lucknow and M/s Eco Green Energy Pvt Ltd Gram Shivri, Mohan Road Lucknow.

NOTARY ★ SUNIL KUMAR SRIVASTAVA Adv & NOTARY LUCKNOW Reg. No. 31/67/2000 GOVT. OF U.P. LUCKNOW INDIA

Sunil Kumar Srivastava
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA

8. That in pursuance of the aforesaid letters dated 30.07.2024, 09.12.2024 and 02.04.2025, the Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Lucknow vide letter dated 02.04.2025 informed the Member Secretary, Pollution Control Board, Lucknow that the recovery certificate has been issued against the Municipal Commissioner, Lucknow for recovery of amount of Rs. 14,40,71000/- on 28.03.2025 and as per the report of the Tehsildar, Sarojninagar, the firm namely M/s Eco Green Energy Pvt. Ltd. Village Shivari, Mohan Road, Lucknow was not found on the official address and as per the report of the Environmental Engineer, Nagar Nigaml, Lucknow, the movable and immovable property of the firm has not been found in District Lucknow, therefore, the recovery cannot be done and it is also requested to direct the concerned District for recovery of the said amount, therefore the recovery certificate related to the M/s Eco Green Energy Pvt. Ltd. Village Shivari, Mohan Road, Lucknow has been returned in original. A copy of the letter dated 02.04.2025 is annexed herewith as **Annexure No. R-1.**

9. That the Environmental Engineer Nagar Nigam Lucknow through his Letter No. D/35/P.A/25 dated 15.04.2025 informed that the contract of M/s Eco Green Energy has been terminated on 06.07.2023 and the firm has been blacklisted after the deficiencies were observed by the UPPCB during inspection. It was further informed that during the time of inspection, the management of solid waste was entirely done by M/s Eco Green Energy Pvt Ltd, therefore it was requested that recovery of environment compensation be made directly from M/s Eco Green Pvt

NOTARY
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA
Adv & NOTARY
LUCKNOW
Reg. No. 31/67/2000
GOVT. OF U.P. LUCKNOW INDIA

Sunil Kumar Srivastava
Adv. & NOTARY
Lucknow U P INDIA

Ltd. A copy of Letter No. D/35/P.A/25 dated 15.04.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

10. That the deponent herein presided over a meeting on 26.07.2025 wherein the Additional Municipal Commissioner Nagar Nigam Lucknow informed that, Nagar Nigam Lucknow has made several communications to M/s Eco Greens Pvt Ltd for depositing the Environmental Compensation of Rs 14,40,71,000/- (Fourteen Crores Forty Lakhs and Seventy One Thousand) as imposed by the UPPCB. It was also requested by the Additional Municipal Commissioner that the Environmental Compensation levied on Municipal Corporation Lucknow be waved off and same may be recovered from the M/s Eco Greens Pvt Ltd. A copy of letter dated 29.07.2025 submitted by the Additional Municipal Commissioner Nagar Nigam Lucknow is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**

11. That it has been further informed by the Environment Engineer Nagar Nigam Lucknow, through his letter no. D/02/P.A/25 dated 02.04.2025 that after termination of contract of M/s Eco Green Pvt Ltd the company is currently operating its business from its registered address 228-236, 2nd Floor, Tower A, Spaze 1-Tech Park, Sector-49, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana E-mail-hrdlucknow@ecogreenwte-com, website www-ecogreenwte-com. Contact +91-124-4410700. A copy of letter dated 02.04.2025 submitted by the Environment Engineer Nagar Nigam Lucknow is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.**

NOTARY GOVT. OF U.P. LUCKNOW INDIA SUNIL KUMAR SRIVASTAVA Adv & NOTARY LUCKNOW Reg. No. 31/67/2000

Sunil Kumar Srivastava Adv. & NOTARY Lucknow U.P. INDIA

12. That on the basis of the reports submitted by the Tehsildar Sadar, Lucknow and Environment Engineer Nagar Nigam it is abundantly clear that the firm M/s Eco Green Pvt Ltd is not operating its business from Lucknow after 2023 and neither it has any registered office in Lucknow which is operational and nor any moveable or immoveable property is registered in the name of company at Lucknow from where recovery as arrears of land revenue can be made.

13. That it most respectfully submitted that since the registered address of the firm M/s Eco Green Pvt Ltd is no longer within the jurisdictional limits of Lucknow, therefore the recovery proceedings could not be initiated. The recovery letters as received from the UPPCB have been returned by the Additional District Magistrate Lucknow vide his letter dated 02.04.2025 addressed to the Member Secretary UPPCB. A copy of letter dated 02.04.2025 is already annexed as Annexure No. 1.

14. That in the interest of justice, the present affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY GOVT. OF U.P. LUCKNOW INDIA SUNIL KUMAR SRIVASTAVA Adv & NOTARY LUCKNOW Reg. No. 31/67/2000

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 05th day of August 2025

Sworn & Verified before me
Sunil Kumar Srivastava
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA

DEPONENT

I Identify the deponent who has signed before me

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Elector Photo Identity Card
NMF4301438
Name: Vishak G
Father's Name: S V Ganpati Ayyair
लिंग / Gender: पुरुष / Male
जन्म तिथि / आयु:
Date of Birth / Age: 16-04-1987

NOTARY
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA
Adv & NOTARY
LUCKNOW
Reg. No. 31/67/2000
GOVT. OF U. P. LUCKNOW INDIA

226001
Address: 51 B M RESIDENCE, M G MARG, LUCKNOW, SADAR, LUCKNOW, UTTAR PRADESH - 226001
Electoral Registration Officer, 174 - Lucknow Central
Before every Election, please check that your name exists in current electoral roll.
This card is not a proof of age except for purpose of Election.
Prev Epic No: NMF4301438

Annexure R-5

प्रेषक,

जिलाधिकारी

लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव

उ0प्र0 प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ।

पत्रांक: 02/सी0आर0ए0-अधि0/2025 दिनांक अप्रैल 02 ,2025

विषय:- जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक 30.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें बाकीदार उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ से क्रमशः रू014,40,70,000, रू025,32,71,000 तथा रू017,20,71,000 वसूल किये जाने हेतु वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 02 अप्रैल 2025 को संशोधित वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें रू0 42,53,42,000 उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया। पत्र दिनांक 30.07.2024 के क्रम में उक्त वसूली प्रमाणपत्र तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ को बाकीदार फर्म से धनराशि वसूल करने हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार सरोजनी नगर, लखनऊ के द्वारा निम्नवत् विस्तृत आख्या दिनांक 02.04.2025 प्रेषित की गयी।

"उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि ग्राम शिवरी, मोहान रोड लखनऊ पर 56,94,12000/-- छप्पन करोड़ चौरानबे लाख बारह हजार रूपये पर बकाया वसूली करने हेतु दिये गये पते ग्राम शिवरी मोहान रोड लखनऊ पर सम्मन/नोटिस/आर0सी0प्रपत्र-36 जारी किया गया। संग्रह अमीन के द्वारा दिये गये पते पर जाने पर जानकारी की गयी कम्पनी वर्तमान में उक्त पते पर संचालित नहीं है। ग्राम शिवरी के प्रधान द्वारा अपना बयान दिया गया जिसके अनुसार ग्राम शिवरी में कम्पनी संचालित नहीं है। कम्पनी की चल-अचल सम्पत्ति के बारे में क्षेत्रीय लेखपाल से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम शिवरी में मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0 के नाम खतौनी में भूमि अंकित नहीं है।

उक्त कम्पनी के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर लखनऊ को कार्यालय पत्र संख्या 66 दिनांक 28.03.2025 को जारी करके आख्या प्राप्त की गई। संग्रह अमीन तहसील सदर लखनऊ की आख्या दिनांक 28.03.2025 जो तहसीलदार सदर लखनऊ के द्वारा अग्रसारित है के अनुसार फर्म/कम्पनी उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि 515/516 डी0एल0एफ0 विभूती खण्ड गोमती नगर में संचालित नहीं है। उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ पत्रांक- 1472/एस0टी0-एस0डी0एम0/2025 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा नगर आयुक्त महोदय नगर निगम लखनऊ का मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 08-2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 प्रकरण में बाकीदार इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम शिवरी मोहान रोड से वसूली में स्पष्ट पता एवं बैंक विवरण आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर पर्यावरण अभियन्ता नगर निगम लखनऊ के पत्र सं0 डी/01/प0अ0/25 दिनांक 01 अप्रैल,2025 के द्वारा प्रस्तुत

NOTARY ★ SUNIL KUMAR SRIVASTAVA Adv & NOTARY LUCKNOW Reg. No. 11/67/2000 GOVT. OF U. P. LUCKNOW INDIA

5. Thus, we direct the ...

Municipal Corporation Lucknow to remain virtually present ...

आख्यानुसार इकोग्रीन संस्था दिनांक 06.07.2023 को अनुबन्ध निरस्त करते हुए संस्था को लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन कार्यो से पृथक कर दिया गया था। जिसके पश्चात संस्था द्वारा डी0एल0एफ0 विभूति खण्ड, गोमती नगर स्थित स्थानीय/क्षेत्रीय कार्यालय बन्द कर दिया गया था। वर्तमान में संस्था द्वारा गुरूग्राम, हरियाणा स्थित पता 228–230, द्वितीय तल टावर–ए स्पेज आई–टेक पार्क, सेक्टर–49 सोहना रोड गुरूग्राम–122018, हरियाणा पत्राचार हेतु उपयोग किया जा रहा है। कम्पनी इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0 का बैंक खाता संख्या 054688256001 आई.एफ.सी. कोड– एच.एस.बी.सी.0110005 ब्रांच का पता HSBC, JMD Regent Square, DLF Phase II, Guraon- Mehrauli Road, Gurgaon 122001 अंकित है। तथा पत्र सं0 डी/02/प0310/25 दिनांक 02 अप्रैल,2025 के अनुसार कम्पनी इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0लि0 का खाता 000281400002958 आई.एफ.सी. कोड– YESB0000002 बैंक का नाम व बैंक शाखा– "......YES BANK LTD, Fortune Global Arcade, Sikanderpur, Mehraull Gurgaon Road, Gurgaon, 122002-----" है। तथा बाकीदार फर्म के नाम जनपद लखनऊ में कोई चल– अचल सम्पत्ति संज्ञानित नहीं है।

ग्राम प्रधान शिवरी के बयान व क्षेत्रीय संग्रह अमीन सरोजनी नगर, लखनऊ, संग्रह अमीन तहसील सदर, लखनऊ के अनुसार कम्पनी लखनऊ में संचालित नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार ग्राम में कम्पनी के नाम भूमि अंकित न होने तथा कम्पनी का खाता में अंकित पता गुडगांव का होने के कारण वसूली प्रमाणपत्र दिनांक 30.07.2024 एवं 02.04.2025 में अंकित धनराशि वसूल नहीं हो सकती।"

ज्ञातव्य हो कि आपके पत्रों के कम में तहसीलदार सदर द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के विरूद्ध 14,40,71,000 रूपये का वसूली प्रमाणपत्र दिनांक 28.03.2025 को जारी कर दिया गया है। तहसीलदार सरोजनी नगर, लखनऊ की आख्या के अनुसार उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि. ग्राम शिंवरी, मोहान रोड, लखनऊ का रजिस्टर्ड पता लखनऊ का न होने तथा पर्यावरण अभियंता नगर निगम लखनऊ की आख्यानुसार संस्था के नाम जनपद लखनऊ में कोई चल–अचल सम्पत्ति न होने के कारण वसूली प्रमाणपत्र पर इस स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कृपया वसूली हेतु संबंधित जनपद को निर्देशित करने का कष्ट करें। उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि. ग्राम शिंवरी, मोहान रोड, लखनऊ से संबंधित वसूली प्रमाणपत्र मूल रूप से वापस।

भवदीय,

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0),
लखनऊ।

NOTARY ★ INDIA ★ GOVT. OF U.P. LUCKNOW
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA Adv. & NOTARY LUCKNOW

प्रतिलिपि--

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0),
लखनऊ।

Annexure R-2

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ	तहसीलदार, सदर, लखनऊ।
पत्र संख्या :–डी/735 /प0आ0/25	दिनांक :– 15 अप्रैल 2025

विषयः– जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वीकीय कार्यालय पत्र दिनांक 28.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 14,40,71,000.00 को प्रोसेसिंग फीस सहित भू–राजस्व के रूप में 15 दिवस मे वसूल किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को नोटिस/माग प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि लखनऊ नगर की सॉलिड वेस्ट परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में घर–घर से कूड़े के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण कार्य हेतु मै0 इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0 (वर्तमान मे मै0 इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0) से दिनांक 21.03.2017 को त्रिपक्षीय अनुबन्ध सम्पादित किया गया था। परन्तु इकोग्रीन संस्था द्वारा अनुबन्ध के नियमों, शर्तो एवं निर्धारित दायित्वों को पूर्ण न किये जाने एवं पर्यावरण को नुकसान पहुचाने व सॉलिड वेस्ट नियमावली–2016 का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण दिनांक 06.07.2023 को इकोग्रीन संस्था को टर्मिनेट कर दिया गया।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा पूर्व में शिवरी स्थित प्लान्ट का निरीक्षण के समय प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन एवं पायी गयी अन्य कमियों का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 18.12.2019 तक कुल 107 दिवस की अवधि हेतु रू0 14.4071 करोड की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। इकोग्रीन संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यों के प्रति लापरवाही व अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा संस्था का अनुबन्ध निरस्त करते हुए संस्था को काली सूची में डाल दिया गया है। साथ ही नगर निगम द्वारा इकोग्रीन संस्था को दिये गये टर्मिनेशन नोटिस में उपरोक्त छतियों के दृष्टिगत रू0 275.3434 करोड़ की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–G–33304/सी–5/MSW–1/2020 दिनांक 27.07.2020 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 14.4071 करोड़ के सापेक्ष तत्समय नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा राज्य बोर्ड को प्रेषित पत्र संख्या–डी/45/न0आ0/प0अमि0/20 दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से बोर्ड द्वारा किये गये उक्त निरीक्षण की अवधि में लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण रूप से मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था द्वारा किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सीधे मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था से जमा कराये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम मे राज्य बोर्ड द्वारा मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 को सम्बोधित पत्र संख्या– H–55133/सी–5/MSW–1/2020 दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से रू0 14.4071 करोड़ की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली मेसर्स इकोग्रीन इकाई से कराकर बोर्ड में जमा कराये जाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया। बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय पेनाल्टी को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा मेसर्स इकोग्रीन संस्था को समय–समय पर अनेक पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः पत्र संख्या–डी/372/प0अ0/22 दिनांक 26.05.2022, डी/975/न0आ0/प0अ0/22 दिनांक 18.03.2023, डी/976/न0आ0/प0अ0/22 दिनांक 18.03.2023, डी/987/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 21.03.2023, डी/1003/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 24.03.2023, डी/751/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 28.11.2023 एवं डी/497/न0आ0/प0अ0/24 दिनाक 10.09.2024 के द्वारा

desktop/docket

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ LUCKNOW
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA Adv & NOTARY LUCKNOW Reg. No. 31/67/2000

संस्था को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को नगर निगम लखनऊ द्वारा संज्ञानित भी किया जाता रहा है। परन्तु इकोग्रीन संस्था द्वारा अभी तक उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा नहीं कराया गया है। मेसर्स इकोग्रीन संस्था के साथ टर्मिनेशन नोटिस के अन्तर्गत Amicable Resolution/Settlement किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा किये जा रहे गम्भीर प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए अपने अनुरोध है कि नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को भू–राजस्व की भांति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली से मुक्त करते हुए मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था से उक्त वसूली किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि :–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

NOTARY
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA
Adv & NOTARY
LUCKNOW
GOVT. OF U. P. LUCKNOW INDIA

Annexure-R3

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद लखनऊ।
पत्र संख्या :–डी / 306 / अ0न0आ0 / प0आ0 / 25	दिनांक :– 29 जुलाई, 2025

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–607/2024 News Item titled "In Lucknow's waste – side story plastic peril paints grim picture" appearing in The Hindustan Times dated 22.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्रांक 1917/ADM(E)/2025 दिनांक 24.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा नगर निगम लखनऊ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 26.07.2025 को आहूत बैठक में निर्गत निर्देशों के क्रम में मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन एवं पायी गयी अन्य कमियों का संज्ञान लेते हुए अधिरोपित पर्यावरणी क्षतिपूर्ति रू0 1440.70 लाख एवं शिवरी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट पर दिनांक 05.12.2024 को किये गये निरीक्षण में राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5999.20 लाख के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ नगर की सॉलिड वेस्ट परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में घर–घर से कूड़े के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण कार्य हेतु मै0 इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0 (बाद में मै0 इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0) से दिनांक 21.03.2017 को त्रिपक्षीय अनुबन्ध सम्पादित किया गया था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 23.11.2019 तथा 01.12.2019 को शिवरी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिं प्लान्ट के किये गये निरीक्षण के समय प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन न किये जाने एवं पायी गयी अन्य कमियों का संज्ञान लेते हुए राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 18.12.2019 तक कुल 107 दिवस की अवधि हेतु पत्र संख्या–G–33304/सी–5/ MSW–1/2020 दिनांक 27.07.2020 द्वारा रू0 1440.71 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। जिसके क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा राज्य बोर्ड को प्रेषित पत्र संख्या–डी/45/न0आ0/प0अभि0/20 दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से बोर्ड द्वारा किये गये उक्त निरीक्षण की अवधि मे लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण रूप से मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था द्वारा किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सीधे मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था से जमा कराये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 को सम्बोधित पत्र संख्या– H–55133/सी–5/ MSW–1/2020 दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से रू0 1440.71 लाख की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली मेसर्स इकोग्रीन इकाई से कराकर बोर्ड में जमा कराये जाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया था। तदक्रम में नगर निगम द्वारा इकोग्रीन संस्था को समय–समय पर पर्यावरणी क्षतिपूर्ति को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में अनेकों पत्र प्रेषित किये गये हैं। संस्था द्वारा अनुबन्ध के नियमों, शर्तो एवं निर्धारित दायित्वों को पूर्ण न किये जाने एवं पर्यावरण को नुकसान पहुचाने व सॉलिड वेस्ट नियमावली–2016 का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूति जमा न किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा दिनांक 06.07.2023 को इकोग्रीन संस्था को टर्मिनेट करते हुए काली सूची में डाल दिया गया है। नगर निगम द्वारा इकोग्रीन संस्था को दिये गये टर्मिनेशन नोटिस में उपरोक्त क्षतियों के दृष्टिगत रू0 275.3434 करोड़ की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है। साथ ही मेसर्स इकोग्रीन संस्था के साथ टर्मिनेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत Amicable Resolution/Settlement किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें संस्था पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रकरण भी विचारणीय है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या एच–26524/सी–6/एम0एस0डब्लू0–1/25 दिनांक 02.04.2025 के माध्यम से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.12.2024 को किये गये प्लान्ट के निरीक्षण में दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 05.12.2024 तक डिफाल्टर अवधि मानते हुए कुल 340 दिवस हेतु नगर निगम लखनऊ के विरूद्धरू0 5999.20/– लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। तदक्रम में राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 09.12.2024 को निर्गत कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में नगर निगम लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–डी/1175/अ0न0आ0/प0अ0/24 दिनांक 26.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को माफ किये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु राज्य बोर्ड द्वारा निगम की उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं एवं अनुरोध पर विचार न करते हुए तथ्यों को दरकिनार कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा सुनवाई की निर्धारित तिथि के दृष्टिगत शीघ्रता से एकतरफा निर्णय लेते हुए नगर निगम लखनऊ के विरूद्ध रू0 5999.20/– लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी गयी है। राज्य बोर्ड द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के अनुसार तैयार आगणन में प्रतिदिन नगर से जनित/उत्सर्जित अथवा प्लान्ट पर पहुचने वाले वेस्ट की मात्रा 2395 मीट्रिक टन प्रतिदिन के आधार पर आगणन किया गया है जबकि माह जनवरी 2024 से माह दिसम्बर 2024 तक शिवरी स्थित प्रोसेसिंग प्लान्ट से प्राप्त विवरण के आधार पर प्रतिदिन पहुचने वाले औसत वेस्ट की मात्रा 1986.45 मीट्रिक टन प्रतिदिन की प्राप्त हुई है। इस प्रकार राज्य बोर्ड द्वारा काल्पनिक मात्रा का आंकलन कर शीघ्रता में गणना की गयी है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन प्लान्ट पर पहुच रहे लगभग 2000 मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट के निस्तारण हेतु टेण्डर प्रक्रिया से मेसर्स हॉरीजन सॉल्यूशन संस्था को दिनांक 08.11.2023 को अनुबन्ध कर लगाया गया था। परन्तु प्लान्ट पर एकत्रित लिगेसी वेस्ट के कारण फ्रेश वेस्ट निस्तारण हेतु अपेक्षित जगह तथा अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण संस्था अपेक्षित कार्य नहीं कर सकी, जिससे प्लान्ट संचालन में प्रतिदिन हो रही समस्याओं के कारण संस्था कार्य करने में असमर्थ रही तथा कार्य को बीच में बंद कर दिया गया। जिसके कारण नगर निगम द्वारा फ्रेश वेस्ट निस्तारण हेतु पुनः टेण्डर किया गया। प्लान्ट पर लिगेसी वेस्ट एकत्र होने के कारण फ्रेश वेस्ट को रखने एवं उसके प्रोसेस हेतु जगह उपलब्ध न होने से ट्रांजिशन पीरिएड में फ्रेश वेस्ट का निस्तारण प्रभावित रहा, परन्तु लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता से किया जाता रहा, जिससे कुछ समय में ही 700 मीट्रिक टन क्षमता का फ्रेश वेस्ट प्लान्ट संचालित करने हेतु स्थल उपलब्ध हो गया। इस प्रकार मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी द्वारा तीन चरणों में (3X700) कुल 2100 मीट्रिक टन क्षमता की मशीनरी की स्थापना करते हुए संस्था द्वारा फ्रेश अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 को भी संज्ञानित किया गया था, परन्तु राज्य बोर्ड द्वारा सूचनाओं एवं प्लान्ट पर स्थल की अनुपलब्धता पर विचार न करते हुए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा सुनवाई की निर्धारित तिथि को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्रता से एकतरफा निर्णय लेते हुए नगर निगम लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी गयी।

शिवरी प्लान्ट पर एकत्रित अनप्रोसेस/लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु संस्था मेसर्स भूमि ग्रीन प्रा0 लि0 का चयन किया गया है, जिसके द्वारा दिनांक 12.03.2024 से कार्य प्रारम्भ करते हुए प्रतिदिन 4000 मी0टन क्षमता से लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण नियमित रूप से कराया जा रहा है तथा वर्तमान में लगभग 13.50 लाख मी0टन लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा चुका है तथा निस्तारण के दौरान निकलने वाले बॉय–प्रोडक्ट का भी वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। लिगेसी वेस्ट के निस्तारण कार्य हेतु कार्यरत संस्था मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी द्वारा लगभग 25 एकड़ से अधिक भूमि भी रिक्लेम की गयी है, जिसमें नियमित बढ़ोत्तरी हो रही है। जैसे–जैसे भूमि लिगेसी वेस्ट से खाली होती गयी नगर निगम द्वारा उक्त भूमि पर 700 टी0पी0डी0 क्षमता के फ्रेश वेस्ट के तीन प्लान्ट (3X700) कुल 2100 मीट्रिक टन क्षमता के लगाये जा चुके है, जो कि वर्तमान समय मे नगर में उत्पन्न हो रहे शत–प्रतिशत कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण कर रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–654/2022 "प्रियदर्शिनी कालोनी डी, रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य" मे पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 एवं उक्त आदेश के विरूद्ध नगर निगम लखनऊ द्वारा योजित रिव्यू पिटिशन संख्या–15/2023 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 के दृष्टिगत तथा ओ0ए0 संख्या–606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and Other Environment Issues मे पारित आदेश दिनांक 23.03.2023 के अनुपालन मे पर्यावरण सुधार से सम्बन्धित कार्यों यथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट कार्यों हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर एक "रिंग फेन्स एकाउण्ट" खोलकर उसमे धनराशि जमा कराये जाने एवं उक्त धनराशि का उपयोग मात्र पर्यावरण सुधार से सम्बन्धित कार्यों पर ही किये जाने के सम्बन्ध मे आदेशित किया गया था। जिसके अनुपालन मे नगर निगम लखनऊ द्वारा एक रिंग फेन्स एकाउण्ट खोलकर लखनऊ नगर में सॉलिड वेस्ट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट कार्यों हेतु निर्धारित धनराशि मे से रू0 63.95 करोड़ की धनराशि को पृथक कर ट्रांसफर

NOTARY
SUNIL KUMAR
SRIVASTAVA
Adv & NOTARY
LUCKNOW
Reg. No. 31/6?/2009
GOVT. OF U. P. LUCKNOW INDIA

किया गया है। जिसमें नगर निगम लखनऊ पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु अध्यारोपित धनराशि रू0 10.00 करोड़ भी सम्मिलित है। उक्त धनराशि को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत कूड़े का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लान्ट संचालन, ट्रांसफर स्टेशन एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों में व्यय किया जा रहा है।

अतः कृपया उपरोक्त स्थितियों के आलोक में नगर निगम लखनऊ द्वारा नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन हेतु किये गये कार्यों एवं भविष्य हेतु गम्भीरतापूर्वक किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि नगर निगम लखनऊ को भू राजस्व की भांति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली से मुक्त करते हुए रू0 1440.70 लाख की क्षतिपूर्ति की वसूली सीधे इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था से किये जाने का कष्ट करें। साथ ही नगर निगम लखनऊ के विरूद्ध अधिरोपित रू0 5999.20/- लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को समाप्त किये जाने हेतु मा0 एन0जी0टी0 में अपील किये जाने के सम्बन्ध में निगम द्वारा विचार किया जा रहा है, कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

(नम्रता सिंह)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी लखनऊ महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

NOTARY
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA
Adv & NOTARY
LUCKNOW
Reg. No. 31/67/2000
GOVT. OF U. P. LUCKNOW INDIA

Annexure R-4

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।	सेवा में, उप जिलाधिकारी, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।
पत्र संख्या :–डी/ 02 /प0आ0/25	दिनांक :– 02 अप्रैल, 2025

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 08-2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० प्रकरण में बाकीदार इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम शिवरी मोहान रोड से वसूली में स्पष्ट पता एवं बैंक विवरण आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वीकीय कार्यालय पत्र संख्या–1472/ST-SDM/2025 दिनांक 29.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम शिवरी मोहान रोड, लखनऊ पर कुल रू० 56,94,12,000.00 का बकाया वसूल किये जाने हेतु जारी आर०सी० प्रपत्र–36 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड संस्था का रिजस्टर्ड पता एवं बैंक खातो का विवरण सहित संस्था की संज्ञानित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा दिनांक 06.07.2023 को इकोग्रीन संस्था का अनुबन्ध निरस्त करते हुए लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन कार्यो से पृथक कर दिया गया था। जिसके पश्चात संस्था द्वारा डी०एल०एफ०, विभूति खण्ड, गोमती नगर स्थित स्थानीय/क्षेत्रीय कार्यालय बन्द कर दिया गया था। वर्तमान में संस्था द्वारा गुरूग्राम, हरयाणा स्थित निम्नवत रजिस्टर्ड कार्यालय का पत्राचार हेतु उपयोग किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

Registered Address : 228-236, 2nd Floor, Tower A,
Spaze I-Tech Park, Sector-49,
Sohna Road, Gurugram -122018, Hariyana.
E-mail : hrdlucknow@ecogreenwte.com
Website : www.ecogreenwte.com
Phone : +91-124-4410700
CIN : U40106HR 2017PTC068191

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम लखनऊ के पर्यावरण अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार "इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड" संस्था की किसी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। "इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड" को भुगतान हेतु उपयोग किये गये बैंक खाते का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	खाता धारक का नाम	बैंक का नाम व ब्रांच का पता	खाता संख्या	IFSC कोड
1	ECOGREEN ENERGY LUCKNOW PRIVATE LIMITED	HSBC JMD Regent Square, DLF Phase II, Gurgaon-Mehrauli Road, Gurgaon 122001	054668256001	HSBC0110005
2	ECOGREEN ENERGY LUCKNOW PVT LTD	YES BANK LTD., Fortune Global Arcade, Sikanderpur, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon 122002	000281400002958	YESB0000002

अतः कृपया उपरोक्त सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि :–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

NOTARY
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA
Adv & NOTARY
LUCKNOW
Reg. No. 31/67/2000
GOVT. OF U. P. LUCKNOW INDIA

Edit, Sign and Share PDF files on the go.
Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb